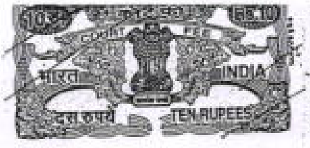
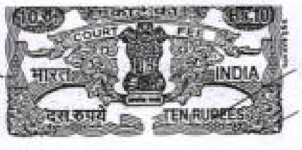

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर संभाग जिला ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी निग. 1754-III-14

रामेश्वर (रामू) पुत्र श्री केसरी चंद्र

जाति वैश्य , निवासी– कस्वा करैरा तहसील करैरा

जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश .... आवेदक

बनाम

श्री एम० के० कुशवाह, अधि०
द्वारा आज दि. 11-6-14
प्रस्तुत
11.6.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नगर पंचायत करैरा द्वारा सी0 एम0 ओ0 नगर पंचायत करैरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश

.... अनावेदक

(M.K.Kushwah) Adv
11-6-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता बनाराजी आदेश दिनांक 3/5/14 पारित द्वारा श्री अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी जो प्रकरण कमांक 23/2011–2012 अपील व उनवान नगर पंचायत बनाम रामेश्वर मे पारित किया गया जिसके तहत अपीलांन्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/10/2010 प्रकरण कमांक 1/09–10 – 1–3 को बातिल किया गया है।

13-

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी सेवा मे निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1– यह कि, अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि कस्बा करैरा मे स्थित आराजी सर्वे कमांक 1589 /2 एवं 1590/2 को नक्शो मे बटा कायम कर दुरूस्त कराने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । जिस पर से तहसीलदार महोदय द्वारा विधि का अनुसरण करते हुये दिनांक 30/10/2010 ...

राजस्व | 415 शिवपुरी
R. 1754-ईई/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ता...
10.6.2015	आवेदक की ओर से श्री एम०के० कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3.~~8~~5.14 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदक के अभिभाषक को वापिस ~~भेजा जाय~~ दिया जाये। अध्यक्ष	10-6-15 मूल दस्तावेज के साथ वापिस किये। (मुकेश कुमार) 12/6/15